	दीवानी दावा संख्या संख्या 60/2018 श्रीमती मानकंवर वगै बनाम बच्ची बाई वगै.	

19.03.2026	वादी पक्ष मय अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 12 लगायत 15 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है।प्रतिवादी संख्या–11 की तलबी शेष है। प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । बार–बार आवाजें लगवाई गई परंतु शेष पक्षकारन् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय अदालत 4.30 पी .एम. हुआ। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि यह पत्रावली विभाजन,घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश की गई थी एवं पूर्व पेशी दिनांक 10.03.2026 को वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य राजीनामा हो जाना भी जाहिर किया गया था जिसमें उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी परंतु वादी संख्या–3 के अनुपस्थित होने एवं दावा विभाजन से संबंधित होने की वजह से राजीनामे के आधार पर दावा का निस्तारण नहीं किया जा सकता था। न्यायालय द्वारा वादी संख्या–3 की उपस्थिति हेतु तथा राजीनामा/उचित कार्यवाही हेतु पत्रावली आज नियत की गई परंतु आज कोई भी पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ मात्र प्रतिवादी पक्ष 16 लगायत 18 जो कि राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे है के अधिवक्ता मात्र ही उपस्थित हैं जो विभाजन से हितबद्व पक्ष नहीं है। इस स्तर पर वादी पक्ष व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की उपस्थिति आवश्यक है। जिनके अधिकार प्रश्नगत संपत्ति में मौजूद होने से दावा किसी भी पक्ष की इच्छा पर आगे निरंतर रखा जा सकता है परंतु इन पक्षकरों में से कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है, जिनकी अनुपस्थिति का कारण भी दर्शित नहीं है मात्र प्रतिवादी संख्या–11 की तलबी शेष है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि उपस्थित पक्षकारान् जानबूझकर दावे में रूचि नहीं ले रहे है। अतः न्यायालय प्रस्तुत दावे को आगे चलाये रखना उचित नहीं पाता है। प्रस्तुत दावा संख्या 60/2018 ब उनवान मानकंवर वगै.बनाम बच्ची बाई वगै.अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)	